सत्यमेव जयते

भारत सरकार

"लोकतंत्र लोगों के विभिन्न वर्गों के समग्र भौतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक संसाधनों को जुटाने की कला और विज्ञान है जिसमें सभी की सामान्य भलाई अंतर्निहित है।"

महात्मा गांधी

बजट 2009-10

6 जुलाई, 2009

http://indiabudget.nic.in

बजट 2009-2010 की मुख्य विशेषताएं

चुनौतियां

- अर्थव्यवस्था को यथाशीघ्र विकास पथ पर अग्रसर करके सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत की विकास दर हासिल करना।
- समावेशी विकास के एजेंडे को सुदृढ़ और व्यापक बनाना।
- सरकार का वितरण तंत्र बेहतर बनाना।

अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन

- सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर पिछले तीन राजकोषीय वर्ष में 9 प्रतिशत से अधिक के औसत स्तर से गिरकर 2008-09 के दौरान 6.7 प्रतिशत पर आ गया।
- थोक बिक्री मूल्य सूचकांक बढ़कर अगस्त, 2008 में लगभग 13 प्रतिशत हो गया था इसी प्रकार इस में तीव्र गिरावट आकर यह मार्च, 2009 में शून्य प्रतिशत पर आ गया।
- भारत की अर्थव्यवस्था का ढ़ांचा पिछले दस वर्षों में तेजी से बदला है जब सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 50 प्रतिशत के स्तर से अधिक हो गया और पण्य व्यापार का हिस्सा दोगुना होकर 2008-09 में सकल घरेलू उत्पाद के 38.9 प्रतिशत पर पहुंच गया।
- आर्थिक पुनरूद्धार और वृद्धि केन्द्र और राज्य सरकारों का एक सामूहिक प्रयास है, यह स्वीकार करते हुए बजट की तैयारी के भाग के रूप में पहली बार राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की गई। यह प्रतिवर्ष हो, ऐसी मंशा है।

आर्थिक पुनरूद्धार की ओर

अल्पावधिक उपाय

- भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मंदी के नकारात्मक प्रभाव का सामना करने के लिए सरकार ने कर राहत के रूप में तीन संकेन्द्रित प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करके और सरकारी परियोजनाओं पर व्यय बढ़ाकर पहल की। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक सहजीकरण और नकदी बढ़ाने के लिए उपाय किए गए हैं।
- राजकोषीय घाटा बढ़कर 2007-08 में 2.7 प्रतिशत से 2008-09 में स.घ.उ. का 6.2 प्रतिशत हुआ।
- 2008-09 में वर्तमान बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. की 3.5 प्रतिशत राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज की राशि 1,86,000 करोड़ रुपए है।
- सरकार द्वारा किए गए उपाय स.घ.उ. की वृद्धि दर में गिरावट रोकने में प्रभावी रहे। यह वृद्धि दर 2008-09 में 6.7 प्रतिशत दर्ज की गई।

अवसंरचना विकास

- भारत अवसंरचना वित्त निगम लिमिटेड अवसंरचना क्षेत्र को अधिकाधिक ऋण देने के लिए बैंकों के परामर्श से एक वित्तपोषण स्कीम तैयार करेगी।

- भारत अवसंरचना वित्त निगम लिमिटेड महत्वपूर्ण क्षेत्रकों की सरकारी निजी भागीदारी से चलने वाली परियोजनाओं के लिए वाणिज्यिक बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण के 60 प्रतिशत का वित्तपोषण अगले 15 से 18 महीनों तक करेगी। आईआइएफसीएल और बैंक अब 1,00,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश वाली परियोजनाओं को सहायता देने की स्थिति में हैं।

राजमार्ग और रेलवे

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के लिए आबंटन में ब.अ. 2008-09 की तुलना में ब.अ. 2009-10 में 23 प्रतिशत की वृद्धि और रेलवे के लिए अंतरिम ब.अ. 2009-10 में 10,800 करोड़ रुपए से बढ़ोतरी करके ब.अ. 2009-10 में 15,800 करोड़ रुपए आबंटित।

शहरी अवसंरचना

- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत ब.अ. 2008-09 में 87 प्रतिशत की बढ़ोतरी करके आबंटन ब.अ. 2009-10 में 12,887 करोड़ रुपए। शहरी गरीबों के लिए आवास तथा बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के प्रावधान में बढ़ोतरी करके ब.अ. 2009-10 में 3,973 करोड़ रुपए करना। इसमें घोषित की गई नई स्कीम "राजीव आवास योजना" का प्रावधान शामिल है।

बृहन मुंबई तूफानी जल निकासी परियोजना (ब्रिमस्टोवा)

- ब्रिमस्टोवा परियोजना के लिए प्रावधान करने की शुरूआत 2007 में हुई। मुंबई में बाढ़ की समस्या से निजात पाने के लिए इसका वित्तपोषण केन्द्रीय सहायता के माध्यम से होना है। इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रावधानों में बढ़ोतरी करके अंतरिम बजट 2009-10 में 200 करोड़ रुपए से ब.अ. 2009-10 में 500 करोड़ रुपए किए गए।

विद्युत

- त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम के तहत आबंटन में ब.अ. 2008-09 के मुकाबले 160 प्रतिशत बढ़ोतरी करके ब.अ. 2009-10 में यह 2,080 करोड़ रुपए किया गया।

गैस

- राष्ट्रीय गैस ग्रिड तक पहुंचने वाली लम्बी दूरी की गैस पाइप लाईन के लिए खाका तैयार करना ताकि देश भर में गैस का परिवहन आसान हो सके।

असम गैस क्रेकर परियोजना

- असम गैस क्रेकर परियोजना के परिव्यय बढ़ाकर ब.अ. 2009-10 में 150 करोड़ रुपए किया गया।

कृषि विकास

- वर्ष 2009-10 में कृषि हेतु 3,25,000 करोड़ रुपए के ऋण प्रवाह का लक्ष्य। 2008-09 में कृषि ऋण प्रवाह 2,87,000 करोड़ रुपए था।

- 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर प्रति किसान 3 लाख रूपए तक के ऋणों के लिए किसानों को अल्पावधिक फसल ऋण हेतु ब्याज सहायता योजना जारी रहेगी। अल्पावधिक फसल ऋणों की अदायगी समय पर करने वाले किसानों को प्रोत्साहन के रूप में इस वर्ष से 1 प्रतिशत की अतिरिक्त सहायता। इसके लिए अंतरिम बजट अनुमान 2009-10 की तुलना में 441 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आबंटन।

किसानों के लिए ऋण राहत

- ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना के अंतर्गत 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि-धारक किसानों को उनकी अतिदेयता का 75 प्रतिशत भुगतान करने के लिए दिया गया समय 30 जून, 2009 से 31 दिसम्बर, 2009 तक विस्तारित किया गया।

- महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में काफी संख्या में किसानों, जो विगत वर्ष घोषित ऋण माफी योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, द्वारा निजी ऋण दाताओं से लिए गए ऋण के मुद्दे की जांच पड़ताल के लिए कार्यदल का गठन किया जाना है।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

- ब.अ. 2008-09 की तुलना में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत आबंटन में 75 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

- ब.अ. 2009-10 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत ब.अ. 2008-09 के मुकाबले 30 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

निर्यात वृद्धि की पुनःप्राप्ति

- बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों को वर्धित निर्यात ऋण और गारंटी निगम (ईसीजीसी) 95 प्रतिशत कवर प्रदान करने के लिए समायोजन सहायता योजना को मार्च 2010 तक आगे बढ़ाया गया है।

- बाजार विकास सहायता योजना के लिए आबंटन बढ़ाकर बजट अनुमान 2009-10 में 124 करोड़ रुपए किया गया है।

- सात रोजगारोन्मुखी निर्यात क्षेत्रों को लदान-पूर्व ऋण पर 2 प्रतिशत की ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता को 30 सितम्बर, 2009 की मौजूदा समय सीमा से आगे बढ़ाकर 31 मार्च, 2010 किया गया है।

- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को उचित दरों पर ऋण के प्रवाह को आसान बनाने हेतु ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईजीएफ) में से विशेष निधि के रूप में 4,000 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। इससे बैंकों और राज्य वित्त निगमों (एसएससी) को अति लघु और लघु उद्यमों (एमएसई) को ऋण प्रदान करने में प्रोत्साहन मिलेगा और मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान अति लघु और लघु उद्यमों को 50 प्रतिशत वृद्धिकारी ऋण का वित्तपोषण किया जाएगा।

- प्रिंट मीडिया को प्रोत्साहन पैकेज के तहत डीएवीपी विज्ञापनों पर 15 प्रतिशत एजेन्सी कमीशन की माफी दी गयी और डीएवीपी दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि विशेष राहत के रूप में प्रदान की जाएगी। यह पैकेज गैर-सरकारी विज्ञापनों में राजस्व हानि के दस्तावेजी प्रमाण के अधीन होगा और इसे 30 जून, 2009 से आगे बढ़ाकर 31 दिसम्बर 2009 तक किया गया है।

मध्यावधिक निरन्तरता

- राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण रखने के लिए मौजूदा वर्ष में ही संस्थागत सुधार उपाए किए जाएंगे।

उर्वरक सब्सिडी

- उर्वरक के संतुलित अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने हेतु सरकार का इरादा पोषण आधारित सब्सिडी व्यवस्था लाने का है जिससे कि बाजार में उचित मूल्यों पर उपलब्ध अभिनव उर्वरक उत्पादों के साथ उर्वरकों के बड़े समूह को कवर किया जा सके।

- उचित समय पर किसानों को सब्सिडी के सीधे अंतरण की प्रणाली अपनाने का भी इरादा है।

http://indiabudget.nic.in

पेट्रोलियम और डीजल मूल्यनिर्धारण नीति

- यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि हमारी तीन चौथाई तेल खपत की पूर्ति आयात कर की जाती है, अतः पेट्रोल और डीजल के घरेलू मूल्य इन वस्तुओं के वैश्विक मूल्यों के अनुरूप होने चाहिए। सरकार पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण की व्यवहार्य और धारणीय प्रणाली के संबंध में सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन करेगी।

कराधान

- सरल-II फॉर्मों को शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर जनता का स्वामित्व

- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कम से कम 51 प्रतिशत की सरकारी इक्विटी को बनाए रखते हुए, विनिवेश कार्यक्रमों में जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।

- सरकारी क्षेत्र के उद्यम जैसे, बैंक और बीमा कम्पनियां सरकारी क्षेत्र में ही बने रहेंगे तथा उन्हें विकसित होने और प्रतिस्पर्धी बनने के लिए पूंजी प्रोत्साहन सहित पूरी सहायता प्रदान की जाएगी।

वित्तीय क्षेत्र

- सभी सूचीबद्ध कम्पनियों के लिए गैर-प्रवर्तनकारी सरकारी शेयरधारिता की आरंभिक सीमा चरणबद्ध तरीके से बढ़ाई जाएगी।

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को पूर्व अनुमोदन के बिना ही सूचित करके ऑफसाइट एटीएम स्थापित करने की अनुमति दी गई है।

- राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति की उप-समिति ऐसे क्षेत्रों को अभिचिन्हांकित करेगी, जहां आवश्यकता से कम बैंक है या नहीं हैं और आगामी 3 वर्षों में इन सभी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा मुहैया कराने के निमित्त कार्य योजना तैयार करेगी। प्रत्येक बैंक रहित ब्लॉकों में बैंकिंग सेवा के लिए कम से कम एक केन्द्र/बिक्री केन्द्र (पीओएस) की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एकबारगी सहायता के व्यय में 100 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं.

- सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की है, जो एक स्वायत्तशासी विनियामक निकाय है। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक अपीलीय निकाय का भी गठन किया गया है।

समावेशी विकास की ओर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा)

- ब.अ. 2009-10 में योजना के तहत आबंटन 39,100 करोड़ रुपए किया गया है, जो ब.अ. 2008-09 के मुकाबले 144 प्रतिशत अधिक है।

- नरेगा के अधीन परिसंपत्तियों की उत्पादकता एवं संसाधन बढ़ाने के लिए कृषि, वानिकी, जल संसाधन, भू संसाधन और ग्रामीण सड़कों से संबंधित अन्य योजनाओं के साथ समाभिरूपता की जा रही है। प्रथम चरण में समाभिरूपता के लिए 115 प्रायोगिक जिलों का चयन किया गया है।

http://indiabudget.nic.in

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाला प्रत्येक परिवार 3 रूपए प्रति किलो की दर से प्रति माह 25 किलो चावल अथवा गेहूं के लिए हकदार होगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम सार्वजनिक बहस के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक विवरण विभाग की बेबसाइट पर रखा जाएगा।

भारत निर्माण

- भारत निर्माण के लिए आबंटन 2008-09 के बजट अनुमान की तुलना में 2009-10 में 45 प्रतिशत बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आबंटन 2008-09 के बजट अनुमान की तुलना में 2009-10 के बजट अनुमान में 59 प्रतिशत बढ़ाकर 12,000 करोड़ रुपए किया गया। राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत आबंटन 27 प्रतिशत बढ़ाकर 7,000 करोड़ रुपए किया गया।

- इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आबंटन 63 प्रतिशत बढ़ाकर 2009-10 के बजट अनुमान में 8,800 करोड़ रुपए किया गया। ग्रामीण आवास क्षेत्र में पुनर्वित्त प्रचालन के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक के संसाधन आधार को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक में राष्ट्रीय आवास निधि हेतु 2,000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

- 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले 1000 गांवों के एकीकृत विकास के लिए प्रायोगिक आधार पर 100 करोड़ रुपए के आबंटन से प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना नामक नई स्कीम शुरू की गई।

कमजोर वर्गों का सशक्तीकरण

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में पुनर्संरचित स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को व्यापक रूप से लागू करना, पहुंच केंद्रित और 2014-15 तक गरीबी उन्मूलन के लिए समय बद्ध बनाना। बढ़ी दरों पर पूंजी सब्सिडी के अतिरिक्त निर्धन गृहस्थों को बैंकों से 1 लाख रूपए तक के ऋणों पर ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी।

- 22 लाख से अधिक महिला स्व-सहायता समूह बैंकों से जुड़ें हैं। स्व-सहायता समूहों की पहुंच बढ़ाकर अगले पांच वर्षों में स्व-सहायता समूहों के सदस्यों के रूप में भारत में सभी ग्रामीण महिलाओं कम से कम 50 प्रतिशत को शामिल किया जाएगा।

- राष्ट्रीय महिला कोष की निधि अगले कुछ वर्षों में 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए की जाएगी।

महिला साक्षरता

- तीन वर्ष में महिला अशिक्षा के स्तर को कम करके आधा करने के लक्ष्य के साथ अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य उपेक्षित समूहों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महिला साक्षरता मिशन आरंभ किया जाएगा।

एकीकृत बाल विकास सेवाएं

- मार्च 2012 तक छः वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे तक सभी एकीकृत बाल विकास सेवा का विस्तार किया जाएगा।

कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को ऋण

- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा पाने में समर्थ बनाने के लिए भारत में मान्यताप्राप्त संस्थाओं से तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में कोई भी अनुमोदित अध्ययन पाठ्यक्रम

करने हेतु अनुसूचित बैंकों से लिए गए ऋण को कवर करते हुए अधिस्थगन काल के दौरान पूर्ण ब्याज सब्सिडी की व्यवस्था करने की स्कीम।

अल्पसंख्यकों का कल्याण

- अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के आयोजना परिव्यय में बजट अनुमान 2008-09 में 74 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 1,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2009-10 में 1,740 करोड़ रुपए किया। इसमें अल्पसंख्य्कों के बहु-क्षेत्रक विकास कार्यकम और मौलाना आजाद एजूकेशन फाउंडेशन को सहायता अनुदान, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम तथा अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए 990 करोड़ रुपए शामिल हैं।

- अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप की एक नई स्कीम और राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण हेतु केंद्रीय वक्फ परिषद को सहायता अनुदान हेतु आबंटन दिए गए हैं।

- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद और केरल में मलापुरम में परिसरों की स्थापना के लिए प्रत्येक को 25 करोड़ रुपए आबंटित।

असंगठित क्षेत्र में कामगारों का कल्याण

- बुनकरों, मछुआरों और महिलाओं, ताड़ी निकालने वालों, चर्म और हस्तशिल्प कामगारों, बागान श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, खान मजदूरों, बीड़ी कामगारों और रिक्शा चलाने वालों जैसे व्यवसाय के लिए सामाजिक सुरक्षा स्कीमों से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। इन योजनाओं के लिए आवश्यक वित्तीय आबंटन किए जाएंगे।

रोजगार कार्यालय

- सरकारी-निजी भागीदारी में रोजगार कार्यालय के आधुनिकीकरण की नई योजना शुरू की जाएगी ताकि नौकरी चाहने वाला व्यक्ति कहीं से भी ऑनलाईन पंजीकरण करा सके और किसी भी रोजगार कार्यालय से संपर्क कर सके।

हथकरघा

- पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु प्रत्येक में हथकरघा का एक बड़ा केंद्र और राजस्थान में विद्युत करघा का एक केंद्र स्थापित किया जाएगा। श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) और मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) में कालीनों के नए बड़ें केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे।

स्वास्थ्य

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आबंटन 2009-10 के अंतरिम बजट अनुमान से 2,057 करोड़ रुपए बढ़ाकर 12,070 करोड़ रुपए किया गया।

- गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आबंटन पिछले आबंटन की तुलना में 40 प्रतिशत बढ़ाकर 2009-10 के बजट अनुमान में 350 करोड़ रुपए दिया गया है।

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

- जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना को आगे बढ़ाते हुए बहु-आयामी दीर्घावधिक और समेकित दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने वाले आठ राष्ट्रीय मिशन शुरू किए जाएंगे।

http://indiabudget.nic.in

- राष्ट्रीय गंगा नदी थाला प्राधिकरण गठित किया गया है। राष्ट्रीय नदी और झील संरक्षण आयोजना के अंतर्गत बजटीय आबंटन 2008-09 के बजट अनुमान में 335 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2009-10 के बजट अनुमान में 562 करोड़ रुपए किया गया है।
- भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून को 100 करोड़ रुपए का एकबारगी विशेष अनुदान दिया गया।
- भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण और भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण प्रत्येक को 15 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण को 15 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि आबंटित की जाएगी।

जवाबदेह संस्थाओं के निर्माण के लिए

सार्वजनिक सेवाओं का वितरण सुधारना

- भारतीय निवासियों की पहचान और बायोमेट्रिक ब्यौरों सहित ऑनलाइन आंकड़ाधार की स्थापना करने और पूरे देश में पंजीकरण, नामांकन तथा सत्यापन सेवा प्रदान करने के लिए भारतीय विशिष्ट अभिचिन्हांकन प्राधिकरण की स्थापना की जानी है। इसके लिए इस बजट में 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- विशिष्ट पहचान संख्या का पहला सैट 12 से 18 महीने में तैयार हो जाएगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा

- राज्यों में पुलिस तंत्र के आधुनिकीकरण के लिए अंतरिम बजट 2009-10 की तुलना में 430 करोड़ अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की गई है।
- अंतराष्ट्रीय सीमाओं पर बाड़ों, सड़कों, फ्लड लाइटों के निर्माण के लिए अंतरिम बजट अनुमान 2009-10 की तुलना में 2284 करोड़ अतिरिक्त राशि।
- केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों के लिए अभिनव वित्तपोषण मॉडल के माध्यम से 1 लाख रिहायशी इकाईयों के निर्माण हेतु आवास कार्यक्रम।

भूत-पूर्व सैनिकों के लिए समान रैंक समान पेंशन

- मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में समान रैंक समान पेंशन संबंधी समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने अधिकारी रैंक के नीचे के 01.01.2006 के पहले के रक्षा पेंशनभोगियों के पेंशन में महत्वपूर्ण सुधार लाने और 10.10.1997 के पेंशन भोगियों को 10.10.1997 के बाद के पेंशनभोगियों के समकक्ष लाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय का कार्यान्वयन 1 जुलाई 2009 से किया जाएगा, और इसकी वार्षिक लागत 2,100 करोड़ रुपए से अधिक होगी।

शिक्षा

- "मिशन इन एजुकेशन थ्रू आईसीटी" योजना के लिए प्रावधान महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाकर 900 करोड़ रुपए किया गया और कौशल विकास मिशन के तहत पोलाटेक्नीकों की स्थापना तथा उन्नयन के लिए प्रावधान बढ़ाकर 495 करोड़ रुपए किया गया।
- प्रत्येक कवर न किए गए राज्य में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 827 करोड़ रुपए आवंटित।
- आईआईटी तथा एनआईटी के लिए 2,113 करोड़ रुपए आबंटित, जिसमें नए आईआईटी तथा एनआईआईटी के लिए 450 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है।
- उच्च शिक्षा के लिए कुल आयोजना बजट में ब.अ. 2009-10 की तुलना में 2000 करोड़ रुपए बढ़ाया जाएगा।

- पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित। चंडीगढ़ की जनता को बेहतर अवसंरचना मुहैया कराने हेतु वर्ष के दौरान आयोजना आवंटन उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाएगा।

राष्ट्रमंडल खेल, 2010

- परिव्यय को अंतरिम बजट के 2,112 करोड़ रुपए से बढ़ाकर नियमित बजट 2009-10 में 3,472 करोड़ रुपए किया जाएगा।

श्रीलंकाई तमिल

- श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों के आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित। विदेश मंत्रालय श्रीलंका सरकार के साथ निकट सहयोग करेगा।

चक्रवात आईला

- चक्रवात आईला के कारण क्षतिग्रस्त अवसंरचना के पुनर्निमाण के कार्यक्रम हेतु 1,000 करोड़ रुपए आवंटित।

बजट अनुमान 2009-10

- बजट अनुमानों में 10,20838 करोड़ रुपए के कुल व्यय की व्यवस्था की गई जिसमें आयोजना-भिन्न के अंतर्गत 6,95,689 करोड़ रुपए तथा आयोजना के अंतर्गत 3,25,149 करोड़ रुपए शामिल हैं। आयोजना-भिन्न व्यय में ब.अ. 2008-09 की तुलना में 37 प्रतिशत और आयोजना व्यय में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- ब.अ. 2009-10 की तुलना में ब.अ. 2009-10 में कुल व्यय 36 प्रतिशत बढ़ा।
- आयोजना-भिन्न व्यय में वृद्धि मुख्यतः छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, खाद्य सब्सिडी में वृद्धि होने तथा 2008-09 में अधिक राजकोषीय घाटे से उत्पन्न अधिक ब्याज भुगतान के कारण हुई।
- 2,25,511 करोड़ रुपए का ब्याज भुगतान अनुमानित जिसमें ब.अ. 2009-10 में 36 प्रतिशत आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय शामिल है।
- सब्सिडी ब.अ. 2008-09 में 71,431 करोड़ रुपए थी, जिसे बढ़ाकर ब.अ. 2009-10 में 1,11,276 करोड़ किया गया।
- रक्षा के लिए परिव्यय ब.अ. 2008-09 के 1,05,600 करोड़ रुपए से बढ़ाकर ब.अ. 2009-10 में 1,41,703 करोड़ रुपए किया गया।
- वार्षिक आयोजना 2009-10 के लिए सकल बजटीय सहायता अंतरिम ब.अ. 2009-10 की तुलना में 40,000 करोड़ रुपए बढ़ाई गई।
- एफआरबीएम के अधीन राज्य सरकारों को राजकोषीय घाटा लक्ष्य में उनके जीएसडीपी के 3.5 प्रतिशत से 4 प्रतिशत की ढील देकर उनके जीएसडीपी का अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत उधार लेने की अनुमति दी जाएगी। इससे राज्य अंतरिम बजट 2009-10 में किए गए प्रावधान से अतिरिक्त 21000 करोड़ रुपए का उधार लेने में समर्थ होंगे।
- सकल कर प्राप्तियां ब.अ. 2008-09 के 6,87,715 करोड़ रुपए की तुलना में ब.अ. 2009-10 में 6,41,079 करोड़ अनुमानित हैं।

http://indiabudget.nic.in

- कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों के ब.अ. 2008-09 के 95,785 करोड़ रुपए की तुलना में ब.अ. 2009-10 में 1,40,279 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

- राजस्व घाटा के ब.अ. 2008-09 में 1 प्रतिशत तथा 2008-09 के लिए अनंतिम लेखे के अनुसार 4.6 प्रतिशत की तुलना में ब.अ. 2009-10 में स.घ.उ का 4.8 प्रतिशत होना अनुमानित है।

- स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा ब.अ. 2008-09 में 2.5 प्रतिशत तथा 2008-09 के अनंतिम लेखे के अनुसार 6.2 प्रतिशत की तुलना में 6.8 प्रतिशत होना अनुमानित है।

कर प्रस्ताव

- कर सुधार सभी सुधारों की तरह एक प्रक्रिया है न कि एक घटना। सुधारों का जोर हमारी कर प्रणाली की कार्यक्षमता और साम्या में सुधार लाने पर रहा है। कर ढांचे की विसंगतियों को दूर करके कराधान के संतुलित स्तर लागू करके और कराधार का विस्तार करके तथा स्वचालन प्रणाली अपनाने सहित प्रमुख व्यावसायिक प्रक्रियाओं की री-इंजीनियरिंग करके इसे प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

- प्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में, बेंगलुरु में एक केन्द्रीयकृत प्रोसेसिंग सेन्टर (सीपीसी) की स्थापना की पहल की गई है। इस केन्द्र में इलेक्ट्रॉनिक रुप से दाखिल की गई सभी विवरणियों और समूचे कर्नाटक में दाखिल की गई कागजी विवरणियों को प्रोसेस किया जाएगा।

- केन्द्र का कर-सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 2003-04 में 9.2 प्रतिशत के निम्न स्तर से बढ़कर 2008-09 में 11.5 प्रतिशत हो गया है। केन्द्र के कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा 2003-04 में 41 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 56 प्रतिशत हो गया है, जो हमारी कर प्रणाली में साम्या में तीव्र सुधार को परिलक्षित करता है।

- प्रत्यक्ष करों के संबंध में आगामी 45 दिन के भीतर नया प्रत्यक्ष कर कोड जारी कर और अप्रत्यक्ष करों के संबंध में 1 अप्रैल, 2010 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की सुचारू शुरुआत करने की प्रक्रिया में तेजी लाकर ढाँचागत परिवर्तन किए जाएंगे।

- प्रत्यक्ष कर कोड, एक परिचर्चा पत्र सहित, आम जनता में बहस के लिए जारी किया जाएगा। प्राप्त विचारों के आधार पर सरकार प्रत्यक्ष कर कोड विधेयक को अंतिम रूप देगी और उसे शीतकालीन अधिवेशन के दौरान किसी समय इस सदन में प्रस्तुत किया जाएगा।

- संगत अधिनियमों में संशोधन करके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों संबंधी अग्रिम विनिर्णय के दो प्राधिकरणों का विलय किया जाएगा।

- संविधान में प्रतिष्ठापित राजकोषीय संघीय व्यवस्था के सिद्धान्तों के अनुरूप इसके मूल ढाँचे पर एक सहमति हो गई है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मॉडल का मोटे तौर पर दोहरा रूप होगा, जिसमें एक केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर और एक राज्य वस्तु एवं सेवा कर शामिल होगा। केन्द्र और राज्य क्रमशः केन्द्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी के संबंध में कानून बनाएंगे, उदग्रहण करेंगे और उन्हें प्रशासित करेगें।

प्रत्यक्ष कर

- कॉरपोरेट कर की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

- वरिष्ठ नागरिकों के लिए वैयक्तिक आयकर की छूट की सीमा 15,000 रुपए बढ़ाकर 2.25 लाख रुपए से 2.40 लाख रुपए, महिला करदाताओं के लिए छूट सीमा 10,000 रुपए बढ़ाकर 1.80 लाख रुपए से 1.90 लाख रुपए और व्यक्तिगत करदाताओं की अन्य सभी श्रेणियों के लिए 10,000 रुपए बढ़ाकर 1.50 लाख रुपए से 1.60 लाख रुपए किया गया है।

- गंभीर अपंगताग्रस्त किसी आश्रित व्यक्ति की चिकित्सा परिचर्या सहित भरण पोषण के संबंध में धारा 80-घघ के अधीन कटौती को 75,000 रुपए की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा रहा है।

- वैयक्तिक आयकर पर 10 प्रतिशत का अधिभार समाप्त करके विभिन्न प्रत्यक्ष करों पर अधिभार को पहली क्रमिक रुप से समाप्त किया जाएगा।

- आय कर अधिनियम की धारा 10क और 10ख के अंतर्गत निर्यात लाभों के संबंध में कटौती के लिए सीमांत खंडों को एक और वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए विस्तारित किया जा रहा है।

- नियोक्ताओं द्वारा उनके कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए कतिपय अनुषंगी लाभों के मूल्य पर अनुषंगी लाभ कर को समाप्त किया जा रहा है।

- कुछ निषेध सूची को छोड़कर, सभी विनिर्माण व्यवसायों के संबंध में आंतरिक अनुसंधान तथा विकास पर होने वाले व्यय पर 150 प्रतिशत की भारित कटौती के मौजूदा प्रावधान की सीमा का विस्तार किया जा रहा है।

- लाभ आधारित छूटों के बजाए निवेश संबंद्ध कर छूटें उपलब्ध कराकर व्यवसायों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसको शुरू करने हेतु व्यवसायों के संबंध में निवेश संबद्ध कर प्रोत्साहित किया जाएगा, जो "कोल्ड चेन" की स्थापना और संचालन, कृषि उत्पादों के भंडारण हेतु भाण्डागार सुविधाएं तथा सामान्य वाहक सिद्धान्त पर वितरण हेतु सम्पूर्ण देश में प्राकृतिक गैस अथवा कच्चे अथवा पेट्रोलियम तेल पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित करने और इसे संचालित करने से संबद्ध होगा। इस विधि के तहत भूमि पर होने वाले सभी व्यय को छोड़कर सभी पूंजीगत व्यय, सदाशयता तथा वित्तीय लिखतें पूर्णतः कटौती के रूप में अनुमत होगी।

- न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) की 10 प्रतिशत की मौजूदा दर को बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जाएगा। मैट के अन्तर्गत कर ऋण की अग्रेनीत अनुमत सात वर्षों की अवधि को बढ़ाकर दस वर्ष किया जाएगा।

- नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) बचत कर व्यवहार की दो बार कर छूट और आहरण के स्तर पर करारोपण (ईईटी) पद्धति के अधीन जारी रहेगी। एनपीएस ट्रस्ट की आय और लाभांश वितरण कर के इस ट्रस्ट को भुगतान किए जाने वाले किसी भी लाभांश को आयकर से छूट प्रदान की जाएगी। एनपीएस ट्रस्ट द्वारा इक्विटी शेयरों और व्युत्पनों की समस्त खरीद तथा बिक्री को भी प्रतिभूति लेन-देन कर से छूट प्राप्त होगी। स्व-नियोजित व्यक्तियों को इस प्रकार सक्षम बनाया जाएगा कि वे एनपीएस में सहभागी बनें और उसमें उपलब्ध कर लाभों को प्राप्त करें।

- अंतरण मूल्य निर्धारण विवादों के समाधान हेतु आयकर विभाग के अंतर्गत एक वैकल्पिक विवाद निपटान तंत्र की स्थापना की जाएगी। अंतरराष्ट्रीय लेन-देनों में अंतरण मूल्यों के निर्धारण में न्यायिक भूलों के प्रभाव को कम करने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को "सेफ हार्बर" नियमों को तैयार करने के लिए सशक्त बनाया जाएगा।

- वस्तु लेन-देन कर को समाप्त किया जाएगा।

- निर्वाचन ट्रस्टों में दिए गए दान को दानकर्ता की आय की संगणना में 100 प्रतिशत की कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी।

- आयकर अधिनियम की धारा 80ङ में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में अध्ययन के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु ऋणों पर दिए जाने वाले ब्याज के संबंध में कटौती की व्यवस्था है। इसकी सीमा का विस्तार किया जाएगा ताकि स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद व्यावसायिक अध्ययनों सहित अध्ययन के सभी क्षेत्रों को शामिल किया जा सके।

- धर्मार्थ संगठनों के समक्ष आ रही व्यवहार्य कठिनाइयों को समाप्त करने हेतु धमार्थ संगठनों द्वारा प्राप्त अनाम दानों पर कुल आय की 5 प्रतिशत सीमा तक अथवा 1 लाख रुपए की राशि, जो भी अधिक हो, कर नहीं लगाया जाएगा।

http://indiabudget.nic.in

- 40 लाख रुपये तक के कारोबार करने वाले समस्त लघु व्यवसायियों के सम्बन्ध में प्रकल्पित कराधान की सीमा को विस्तारित किया जाएगा। ऐसे सभी करदाताओं को अपने कारोबार के 8 प्रतिशत की दर पर व्यवसाय से उनकी आय घोषित करने का विकल्प होगा और इसके साथ ही वे बहियां रखने के अनुपालन भार से छूट का लाभ उठा सकते हैं। प्रक्रिया संबंधी सरलीकरण के रूप में उन्हें अग्रिम कर का भुगतान करने की छूट देते हुए अपनी विवरणी दर्ज कराते समय व्यवसाय से उनकी समूची कर देनदारी अदा करने की अनुमति दी जाएगी। यह नई योजना 2010-11 के वित्त वर्ष से लागू होगी।

- आयकर अधिनियम की धारा 80-झख(9) के अंतर्गत करावकाश जो अब तक वाणिज्यिक उत्पादन अथवा खनिज तेल के परिष्करण से उद्भूत लाभों के संबंध में अब तक उपलब्ध था, उसका विस्तार प्राकृतिक गैस तक किया जाएगा। यह कर लाभ उन उपक्रमों को उन लाभों के संबंध में उपलब्ध होगा, उन तेल और गैस के ब्लाकों से, जो नई उत्खनन लाइसेंसिंग नीति-बोलियों के VIII दौर के अंतर्गत दिए गए है, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के वाणिज्यिक उत्पादन से प्राप्त करते हैं। उक्त धारा के उपबंधों में यह व्यवस्था करने के लिए भी भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन किया जाएगा जिससे कि धारा 80-झख (9) के प्रयोजनों हेतु "अंडरटेकिंग" का अर्थ होगा, किसी एक संविदा में अधिनिर्णीत सभी ब्लाक।

अप्रत्यक्ष कर

- अप्रत्यक्ष करों संबंधी मेरे प्रस्तावों में सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों के साथ-साथ सेवा कर के समग्र कर ढांचे को बनाए रखकर प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

सीमा शुल्क

- टेलीविजन प्रसारण के लिए सेट टॉप बॉक्स पर 5 प्रतिशत का सीमा शुल्क लगाया जाएगा।

- एलसीडी टेलीविजनों के विनिर्माण के लिए एलसीडी पैनलों पर 10 प्रतिशत के सीमा शुल्क को घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा।

- मोबाइल फोनों और उसके सहायक उपकरण के विनिर्माण हेतु उसके कल पुर्जों पर 4 प्रतिशत के सेनवैट शुल्क से उपलब्ध पूर्ण छूट को एक और वर्ष के लिए लागू रखा जाएगा।

- खेल के समान के विनिर्माताओं-निर्यातकों द्वारा आयात किए जाने वाले विनिर्दिष्ट कच्चा माल/निविष्टियों की सूची जिन्हें सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है, का विस्तार विनिर्दिष्ट दशाओं के अधीन पांच अतिरिक्त वस्तुओं को शामिल कर किया जाएगा।

- चमड़े की वस्तुएं कपड़ा उत्पादों और फुटवेयर उद्योग के विनिर्माताओं निर्यातकों द्वारा आयात किए जाने वाले विनिर्दिष्ट कच्चा माल/उपकरणों की सूची जिन्हें सीमा शुल्क से पूर्ण छूट प्राप्त है, का विनिर्दिष्ट दशाओं के अधीन विस्तार किया जाएगा।

- खुरदरे मूंगों पर 5 प्रतिशत के सीमा शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया जाएगा।

- 10 विनिर्दिष्ट जीवन रक्षक दवाओं/टीकों और उनकी स्थूल दवाओं पर 10 प्रतिशत के सीमा शुल्क को घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा और सीवीडी शून्य होगा (उत्पाद शुल्क पर छूट के जरिए)।

- विनिर्दिष्ट ह्रदय यंत्रों जैसे कृत्रिम ह्रदय और पीडीए/एएसडी ऑक्लूजन डिवाइस पर सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा और ये मशीनें सीवीडी से मुक्त होंगी (उत्पाद शुल्क छूट के जरिए)।

- वायु चालित विद्युत जेनरेटरों में उपयोग किए जाने वाले 500 कि.वा. से अधिक शक्ति वाले पीएम सिंक्रोनस जेनरेटर के स्थायी चुंबकों पर सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा।
- बायोडीजल पर सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत किया जाएगा।
- चाय, काफी और रबर बागानों के लिए विशिष्ट मशीनरी पर 5 प्रतिशत का रियायती सीमा शुल्क 06.07.2010 तक एक वर्ष के लिए पुनः आरंभ किया जाएगा।
- कॉफी बागानों के लिए, तकनीकीय हारवेस्टर, पर सीमा शुल्क 7.5% से घटाकर 5% किया जाएगा। ऐसे हारवेस्टर पर सीवीडी पर सीमा शुल्क उत्पादन शुल्क में छूट देकर 8% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।
- क्रमांक युक्त स्वर्ण छड़ (तोला छड़ को छोड़कर) पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 100 रुपए प्रति 10 ग्राम से 200 रुपए प्रति 10 ग्राम किया जाएगा। सोने के अन्य रूपों पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 250 रुपए प्रति 10 ग्राम से 500 रुपए प्रति 10 ग्राम किया जाएगा। चांदी पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 500रुपए प्रति किलोग्राम से 1000 रुपए प्रति किलोग्राम किया जाएगा। ये वृद्धियां सोना और चांदी (आभूषण सहित) पर भी लागू होंगी जब वैयक्तिक सामान के रूप में उनका आयात किया जाएगा।
- कपास अपशिष्ट पर सीमाशुल्क घटाकर 15% से 10% किया जाएगा।
- ऊन अपशिष्ट पर सीमा शुल्क घटाकर 15% से 10% किया जाएगा।
- रॉक फास्फेट पर सीमा शुल्क घटाकर 5% से 2% किया जाएगा।
- एरियल पैसेन्जर रोप वे परियोजनाओं पर सीवीडी की छूट समाप्त की जाएगी। ऐसी परियोजनाओं के लिए अब सीवीडी प्रयोज्य नहीं होगा।
- 50 सीयूएम प्रति घंटा की क्षमता या इससे अधिक क्षमता वाले कंक्रीट संयत्रों पर से सीमा शुल्क में छूट समाप्त की जाएगी। ऐसे संयंत्रों पर 7.5% से अधिक सीमा शुल्क नहीं लगेगा।
- पैकेज्ड या केन्ड साफ्टवेयर पर सीवीडी की छूट मूल्य के कुछ भाग के लिए दी जाएगी, जिनमें उपयोग करने के अधिकार का अंतरण पर विचार किया जाता है, बशर्ते कि शर्तें विनिर्दिष्ट हों।
- फुलाए न जाने योग्य राफ्टों, स्नो स्की, वाटर स्की, सर्फ, वोटों, सेल बोर्ड और अन्य जलीय खेल-कूद उपकरणों को सीमा शुल्क से पूर्ण छूट दी जाएगी।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

- वर्तमान में 4% उत्पाद शुल्क लगने वाली मदों पर निम्नलिखित मुख्य अपवादों सहित बढ़ाकर उत्पाद शुल्क 8 प्रतिशत किया जाएगाः
  - विशिष्ट खाद्य मदें जिनमें बिस्कुट, शर्बत, केक और पेस्ट्री शामिल हैं।
  - अध्याय 30 के अंतर्गत आने वाली औषधियां और भेषज उत्पाद।
  - चिकित्सा उपकरण
  - कुछ किस्म के कागज, पेपर बोर्ड और उससे बनी वस्तुएं
  - पाराक्सीलेन
  - पानी चलाने के लिए विद्युत चलित पम्प

- फुटवीयर जिसका आरएसपी 250 रूपए से अधिक परन्तु 750 रुपए प्रति जोड़ा से कम हो।
- प्रेसर कुकर
- वैक्युम और गैस भरा बल्ब जिसका आरएसपी 20 रुपए प्रति बल्ब से अधिक न हो ।
- कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप ।
- शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए कारें ।

■ 2000 सीसी क्षमता के इंजन वाले बड़ी कारों/उपयोगी वाहनों पर प्रयोज्य उत्पादन शुल्क के विशिष्ट संघटक को 20,000 रुपए प्रति वाहन से घटाकर 15,000 रुपए प्रति वाहन किया जाएगा।

■ पेट्रोल चलित ट्रकों/लॉरियों पर उत्पाद शुल्क घटाकर 20% से 8% किया जाएगा। ऐसे ट्रक/लॉरियों के चैसिस पर उत्पाद शुल्क 20% +10,000 रुपए से घटाकर 8% +10,000 रुपए किया जाएगा।

■ विशेष बोयलिंग प्वाइंट स्पिरिटों पर उत्पाद शुल्क घटाकर 14% किया जाएगा।

■ नाफ्था पर उत्पाद शुल्क घटाकर 14 प्रतिशत किया जाएगा।

■ शुल्क प्रदत्त हाई स्पीड डीजल जो 20% बायो-डीजल के साथ मिलाया जाता है, को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट दी जाएगी।

■ ब्रांड नाम सहित बिक्री के लिए आशयित पेट्रोल पर 6% उत्पाद शुल्क के यथामूल्य संघटक को विशिष्ट दर में बदला जाएगा। परिणामस्वरूप, ऐसे पेट्रोल पर अब 6% + 13 रुपए प्रति लीटर के बजाए 14.50 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क लगेगा।

■ ब्रांड नाम सहित बिक्री के लिए आशयित डीजल पर 6% उत्पाद शुल्क के यथामूल्य संघटक को विशिष्ट दर में बदला जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, ऐसे डीजल पर अब 6% + 3.25 रुपए प्रति लीटर के बजाए 4.75 रुपए प्रति लीटर की दर से उत्पाद शुल्क लगेगा।

■ मानवनिर्मित रेशा और यार्न पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर 4% से 8% किया जाएगा।

■ पोलिस्टर चिप्स पर उत्पाद शुल्क को बढ़ाकर 4% से 8% किया जाएगा।

■ पीटीए और डीएमटी पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर 4% से 8% किया जाएगा।

■ एक्रिलोनाइट्राइल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर 4% से 8% किया जाएगा।

■ 4% की वैकल्पिक उत्पाद शुल्क की स्कीम शुद्ध सूती के लिए पुनर्बहाल की जाएगी।

■ शुद्ध सूती को छोड़कर मानवनिर्मित एवं प्राकृतिक रेशों के लिए रेशे और यार्न अवस्था के बाद उत्पाद शुल्क बढ़ाकर मौजूदा वैकल्पिक स्कीम के तहत 4% से 8% किया जाएगा।

■ शुल्क प्रदत्त स्टेपल रेशे से विनिर्मित टॉप्स के समतूल्य पर मोटे सन से विनिर्मित मानवनिर्मित रेशे के टॉप्स के लिए वैकल्पिक उत्पाद शुल्क छूट दी जाएगी।

■ निर्यातोन्मुखी यूनिटों द्वारा बनाए गए कपड़ों की वस्तुओं, ऐसी वस्तुओं के विनिर्माण के लिए जहां देशी कच्चा माल/निविष्टियों का उपयोग किया जाता है, के डीटीए निकासी के लिए प्रयोज्य शुल्क दरों में उपयुक्त समायोजन किया जाएगा।

■ केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ के अध्याय 68 की उन वस्तुओं को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी छूट दी जाएगी जिनका विनिर्माण ऐसे स्थल पर भवन निर्माण कार्य में उपयोग के लिए भवन निर्माण स्थल पर किया जाता है।

■ "रिकार्ड किए गए स्मार्ट कार्डों तथा रिकार्ड किए गए प्रोक्सीमिटी कार्डों और टैगों" पर उत्पाद शुल्क से छूट वैकल्पिक किया जाएगा। विनिर्माताओं के पास प्रयोज्य उत्पाद शुल्क का भुगतान करने का विकल्प है और निविष्टियों पर भुगतान किए गए शुल्क का क्रेडिट ले सकते हैं।

■ फुटवेयर के विनिर्माण के लिए और आगे के उपयोग हेतु फुटकर कार्य पर विनिर्मित ईवीए मिश्रण को उत्पाद शुल्क से छूट दी जाएगी।

■ एसएसआई छूट योजना का विस्तार दूसरों का ब्रांड नाम अंकित प्रिन्टिड लैमिनेटिड रोलों तक इस मद को ब्रांड नाम प्रतिबद्धता के दायरे से निकालकर किया जाएगा।

■ पैकेज बंद या डिब्बा बंद साफ्टवेयर पर मूल्य के उस अंश पर उत्पाद शुल्क की छूट दी जाएगी, जो ऐसे साफ्टवेयर के उपयोग के अधिकार के अंतरण पर विचार करने का द्योतक है बशर्ते कि शर्ते विनिर्दिष्ट हों।

■ आभूषण की ब्रांडेड वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क घटाकर 2% से शून्य किया जाएगा।

सेवा कर

निम्नलिखित सेवाओं पर सेवा कर लगाया जाएगा :-

- रेल द्वारा सामान के परिवहन संबंधी सेवा।
- तटीय कार्गो के परिवहन और राष्ट्रीय जल मार्गों सहित अंतर्देशीय जल द्वारा माल परिवहन सेवा।
- विधि के क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सलाह, परामर्शी अथवा तकनीकी सहायता (सेवा प्रदाता अथवा सेवा प्राप्तकर्ता के व्यष्टि होने की स्थिति में यह कर लागू नहीं होगा)।
- कास्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी सेवा।

■ विशेष शर्तों के साथ "कान्ट्रेक्ट कैरिज परमिट" वाले वाहन में अन्तर राज्य या अन्तरा राज्य सवारियों का परिवहन करने वाले वाहनों को सेवा कर में छूट दी जा रही है।

■ अनुसूचित बैंकों के बीच अन्तर बैंक खरीद तथा विदेशी मुद्रा की बिक्री के लिए सेवा कर (बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय सेवा या विदेशी मुद्रा ब्रोकिंग सेवा के तहत कराधेय) से छूट दी जाएगी।

■ दो कराधेय सेवाएं अर्थात् "सड़क द्वारा माल परिवहन" और "विदेशी एजेंटों को भुगतान किए जाने वाले कमीशन को सेवा कर से छूट दी जाएगी, यदि निर्यातक के लिए प्रतिवर्ती प्रभार आधार पर सेवा कर देय है। तथापि, वर्तमान 10% की कमीशन एजेंसी प्रभार की उच्चतम सीमा जारी रखी जाएगी। इस प्रकार से निर्यातक के लिए पहले कर चुकाने और इन सेवाओं के संबंध में धनवापसी का दावा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

■ निर्यातकों द्वारा प्राप्त की जाने वाली अन्य सेवाओं के लिए सेवा कर छूट मौजूदा धनवापसी तंत्र द्वारा संचालित की जाएगी जो दस्तावेजों के स्व-प्रमाणन और जहां ऐसी धनवापसी एफओबी मूल्य के 0.25 प्रतिशत से कम होती है, और धनवापसी मूल्य उपर्युक्त सीमा से अधिक सनदी लेखाकार द्वारा दस्तावेजों का प्रमाणन पर आधारित होगी। होने पर।

■ निर्यात संवर्धन परिषद तथा भारतीय निर्यात संगठन संघ को 31 मार्च, 2010 तक उनके द्वारा संगहीत सदस्यता एवं अन्य शुल्कों पर सेवा कर में छूट दी जाएगी।

प्रत्यक्ष करों पर कर प्रस्ताव से राजस्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अप्रत्यक्ष करों पर पूरे वर्ष के लिए अनुमानित निवल प्राप्ति 2,000 करोड़ रुपए होगी।

http://indiabudget.nic.in